दिनांक	आज्ञा-पत्र
26/11/19	प्रा० पेश हो वकील आपत्तिकर्ता हाजिर। प्रकरण का अवलोकन से यह पाया गया कि प्रकरण में बयान पेश हो चुका है रिकार्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। बहस वास्ते दिनांक 29.11.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
29/11/19	पत्र० पेश हुई वकील आपत्तिकर्ता हाजिर बहस सुनी गई। फैसला वास्ते आदेश दि० 19.12.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
19/12/19	पत्र० पेश हुई। वकील आपत्तिकर्ता हाजिर। चुनाव कार्य व्यस्तता के निर्णय नहीं किया जा सका। पत्र० दि० 23.12.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
23/12/19	पत्र० पेश हुई वकील आपत्तिकर्ता हाजिर। पृथक से फैसला किया जाकर आदेश पारित किया गया। पत्र० फैसला मुताबिक लेकर दफ्तर में दाखिल किया जावे। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

विविध प्रा.प संख्या 29/2005

राजूराम आयु 24 वर्ष पुत्र श्री गंगाराम जाति बलाई(मेघवंशी) निवासी ग्राम सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी –

बनाम

1. बालाराम
2. सुगनाराम
3. भींवाराम
4. लिखमाराम समस्त पुत्रगण आसुराम
5. नाराणी बेवाह रामदेव
6. मोहन पुत्र रामदेव
7. जगदीश
8. लिछमण
9. ओमप्रकाश
10. श्रवण समस्त पुत्रगण मंगला
11. सोनकी पत्नि मंगला
12. कानाराम पुत्र परतुराम
13. भागला पुत्र लादूराम
14. भंवर राम पुत्र गंगाराम
15. तीजा पत्नि गंगाराम समस्त जाति बलाई (मेघवंशी) निवासीगण सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर
16. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, सीकर

–अप्रार्थीगण –

प्रा0प0अं0 आदेश 9 नियम 13 सीपीसी आस्ते निरस्त किए जाने एक तरफा निर्णय व डिक्री प्रकरण आसूराम वगैरह बनाम भगला वगै.मु0न0 308/91 नि. व डिक्री दि0 29.11.91

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपस्थित – वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह तंवर

वकील अप्रार्थीगण – श्री दिनेश कुमार , अनिल कुमार भार्गव

निर्णय

दिनांक :

वकील प्रार्थी की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियां वाके ग्राम सिंगरावट में अवस्थित हैं जो प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी का इन कृषि भूमियों में 1/9 हिस्सा है। खींवाराम के केवल 3 ही लड़के पैदा हुऐ थे, आसूराम नाम का कोई

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

पुत्र खींवाराम के पैदा नहीं हुआ था ना ही प्रार्थी के परिवार में ही कोई था। आसूराम के पिता का नाम कालूराम था । आसूराम फौत हो चुका है अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 उसके वारिसान है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता ने अपने आपको खींवाराम का पुत्र बताते हुऐ एक दावा उनवानी आसूराम वगैरह बनाम भागला वगै0 मु0 नं. 398/91 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में प्रस्तुत किया था। उस समय प्रार्थी की उम्र 10 वर्ष थी तथा प्रार्थी नाबालिग था। इस तथ्य की रिपोर्ट तामिल कुनन्दा द्वारा नोटिस में की गयी है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को जरिये संरक्षक पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। लेकिन आसुराम ने उस समय प्रार्थी की आयु गलत रूप से 22 वर्ष लिखकर दावा पेश कर दिया । यह तथ्य रिकार्ड पर आने के बावजूद न्यायालय द्वारा गलत रूप से दावा डिक्री कर दिया जो कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। आसूराम ने अपने जीवनकाल में उक्त निर्णय व डिक्री को दबाये रखा तथा मौके पर कोई दखलदांजी नहीं की 30 अगस्त 2005 को न्यायालय के फैसले के अनुसार उनका नाम प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में 1/4 हिस्से के रूप में दर्ज हो गया, यह जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र अवधि के भीतर पेश किया है । चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्र को निरस्त कर प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर मामले का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 ने इकबाली जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी का उक्त भूमियों में 1/12 हिस्सा होता है जबकि उसने 1/9 अंकित किया है। खींवाराम के 4 पुत्र हुऐ थे । सजरा खानदान प्रार्थी ने गलत पेश किया है। मुकदमा संख्या 308/91 प्रस्तुत किये जाते समय राजूराम पूर्णतया व्यस्क हो चुका था। यह इसी तथ्य से प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा अपने भाई व माता की आयु के संबंध में कोई आक्षेप नहीं किया है। दावा माननीय न्यायालय द्वारा सही व विधिवत रूप से डिक्री किया गया है। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.91 को है, इसलिये आवेदन प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर ने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपनी माता व भाई के बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने के बाबत कोई कथन आवेदन में नहीं किया है। प्रार्थी के कथनों पर यदि विश्वास भी कियाजावे तो प्रार्थी को 18 वर्ष की उम्र में व्यस्क होने के पश्चात आगामी 3 वर्षों में चुनौती देनी चाहिये थी जो नहीं दी गई है। 2005 में प्रा. प. दायर करते समय उम्र 24 वर्ष अंकित की गई है इसलिये मियाद बाहर होने के कारण प्रा. प. खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई, जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रहीं। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एंव पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह है कि दावा संख्या 308/91 आसुराम बनाम भागला में प्रार्थी की उम्र 22 वर्ष बताकर पेश किया गया था, जो नकल वाद से प्रमाणित है। प्रार्थी ने अपने कथन के प्रमाण में उक्त वाद में प्रार्थी को जारी नोटिस की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें तामिल कुनन्दा ने राजूराम को नाबालिग होना अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथन के तथ्यों के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजात अपनी उम्र का प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो ता हो कि प्रार्थी की उम्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय 24 वर्ष हो तथा दावा प्रस्तुत करते समय वह नाबालिग हो। केवल मात्र तामिल कुनन्दा की रिपोर्ट को आधार मान कर यह प्रा.प. प्रस्तुत किया गया है। कानूनन प्रार्थी को अपने कथनों के समर्थन में वर्तमान

सहायक कलेक्टर (द्वितीय)

दस्तावेजात प्रस्तुत करने चाहिये थे, जो नहीं किये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी आयु का प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर